2007

नए भारत की परिकल्पना

आज हमारी आजादी की साठवीं सालगिरह है। इस शुभ अवसर पर, मैं आप सबको और हर एक भारतवासी को बधाई देता हूं।

आज अपने प्यारे तिरंगे को सलाम करते हुए हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आइये, हम अपनी जंग-ए-आजादी के उन सेनानियों के महान बलिदान को गर्व के साथ याद करें, जिनके देशप्रेम ने हमें आजादी दिलाई।

आइये, खुशी के इस मौके पर हम अपने उन सभी नागरिकों को सलाम करें, जिन्होंने इन साठ सालों में, एक नए भारत को बनाने में योगदान किया। आइये, हम अपने उन सभी बहादुर जवानों और बहादुर नागरिकों को नमन करें, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और तरक्की के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।

साठ साल पहले, हमने एक आजाद मुल्क के रूप में एक नई यात्रा शुरू की थी। हमें महात्मा गांधी के पैगाम और विचारों से प्रेरणा मिली। उनके नजरिए के मुताबिक, हमारी आजादी सही मायने में तभी पूरी होगी, जब हम देश के गरीब लोगों को घोर गरीबी से छुटकारा दिला पाएंगे।

आज यहां खड़े होकर, जब मैं आसमान में अपने तिरंगे को शान से लहराते हुए देख रहा हूं तो मुझे अपने पिछले तीन सालों में कही हुई बातें याद आ रही हैं।

इन सालों में हमने एक ऐसे नए भारत की परिकल्पना की है जिसमें सबका हित हो। जो जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बंटा न हो। जिसमें लोगों को अपनी काबलियत और हुनरमंदी दिखाने के लिए माफिक माहौल मिले। जो सभी का ख्याल रखता हो। जिसमें निर्बल को बल मिले, अपंग को सहारा मिले, मददहीन को मदद मिले।

जहां कोई भी इंसान या इलाका तरक्की और विकास से वंचित न रहे।

एक ऐसा देश जिसमें हरेक की जिंदगी में आन हो, मान हो, मन में मर्यादा हो, महिमा हो, आबरू हो। जहां हर एक नागरिक को भारतीय होने पर गर्व हो।

एक ऐसा भारत, जो अपने पड़ोसी मुल्कों और सारी दुनिया के साथ अमन-चैन और भाईचारे के साथ रहे। एक ऐसा भारत जिसे दुनिया में अपनी उचित जगह हासिल हो।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2007

यह परिकल्पना, हमारे राष्ट्र निर्माताओं की विरासत है। हमारे संविधान की विरासत है। इस परिकल्पना को साकार करने की हमारी भरसक कोशिश रही है। इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है। नीतियों और कानून में बदलाव किया है। नयी योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया है। सरकारी खर्च में जबरदस्त बढ़ोत्तरी की है।

आज, जब मैं यहां खड़े होकर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मैं थोड़ी-बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि हम बेशक सही दिशा में आगे बढ़े हैं। हालांकि कुछ मामलों में हमारी रफ्तार धीमी रही होगी। हम लड़खड़ाए भी होंगे। लेकिन, हम अपने इरादों और लक्ष्य से नहीं हटे और आम आदमी की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। हमें कई मोर्चों पर कामयाबी भी मिली है। कुछ मुद्दों पर हमें चिंताएं भी हैं।

हमें अपनी कामयाबियों पर खुशी जरूर है। लेकिन कामयाबियों के बावजूद हकीकत कुछ और भी कहती है। गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी मिटाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफी है? क्या हमारी तरक्की, उसकी दिशा और उसकी गति सही है? इस बा-रफ्तार तरक्की के बावजूद, हमारे बीच से गरीबी और बेरोजगारी क्यों नहीं हटी है? कई इलाकों में ग़ुरबत हमें शर्मिंदा कर देती है। ऐसे सवाल हमें मायूसी या ना-उम्मीदी में नहीं पूछने चाहिए। उन समस्याओं का हल निकालने के लिए पूछने चाहिए।

आज, इस मौके पर हम देश से गरीबी मिटाने का संकल्प लें। आजादी के बाद से हमने जो तरक्की की है उसकी वजह से मजदूरों और किसानों की ताकत बढ़ी है; लोग ज्यादा काबिल और सक्रिय हुए हैं। व्यापारी वर्ग का हौसला बुलंद हुआ है। वे अपनी नयी सोच और मेहनत के बलबूते पर हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। इससे हमें गरीबी मिटाने, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए जरूरी राशि मिल रही है। मुझे यकीन है कि गरीबी दूर करने का लक्ष्य हमारी पहुंच के अंदर है।

इस लक्ष्य को हम हकीकत में कैसे बदलें? हमें समझ लेना चाहिए कि विकास के वातावरण में ही गरीबी दूर की जा सकती है। इसके अलावा कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसे-जैसे नए उद्योग-धंधों के लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं, वैसे-वैसे देश के लाखों लोगों के लिए नयी नौकरियों के मौके बढ़ते हैं। सरकारी खजाने में आमद बढ़ने से शिक्षा, सेहत, खेती, सिंचाई और बुनियादी सहूलियतों के लिए ज्यादा धन मुहैया हो पाएगा। इसी से हम गरीबी मिटा पाएंगे।

पिछले तीन सालों में आम आदमी के हित को मद्देनज़र रखते हुए हमने सामाजिक क्षेत्र के खर्चों में बेमिसाल इज़ाफा किया है। शिक्षा के खर्च में केंद्र सरकार ने तीन गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी की है। इसी तरह स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास में बढ़ोत्तरी दोगुने से ज्यादा रही है।

इस बढ़ते हुए खर्च की मदद से लोगों के हित के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमारे ऐतिहासिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत लोगों को सौ दिनों के रोजगार का कानूनी हक मिला है। अब हमारे गरीब से गरीब लोगों को कुछ राहत मिली है। अभी देश के आधे हिस्से में ही यह कार्यक्रम लागू है। धीरे-धीरे इसे सारे देश में लागू किया जाएगा। मुझे यकीन है कि इस कानून से गांधी जी का अंत्योदय का सपना पूरा होगा। गरीबों के आंसू पोंछने की यह हमारी छोटी-सी कोशिश है।

इसके साथ-साथ, देश के गांवों की हालत में और सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की रकम दोगुनी कर दी गई है। इसके ब्याज में कमी की गई है। कुछ दिक्कत वाले इलाकों में हमने ब्याज को माफ कर दिया है और कर्ज की वापसी का समय बढ़ाया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमने गेहूं और चावल के समर्थन मूल्यों में काफी बढ़ोत्तरी की है। भारत निर्माण के जरिए हम हरेक गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं और उनमें बिजली और टेलीफोन की सुविधा दे रहे हैं। भारत निर्माण के जरिए हमारी कोशिश रही है कि शहरों और गांवों के बीच के फासले न रहें।

यह हमारी कोशिशों का केवल एक हिस्सा है। और भी कोशिशें जारी हैं। आने वाले सालों में हमारा जोर खेती के विकास पर होगा। हम किसानों की आय बढ़ाने और देश के सभी इलाकों में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक खास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सूखे से पीड़ित इलाकों के किसानों की समस्याओं पर भी खास तवज्जो दे रहे हैं। मैं खुद कृषि क्षेत्र के कार्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए कुछ राज्यों का दौरा कर रहा हूं।

हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और आबादी को ज्यादा अनाज की जरूरत है। मुझे यकीन है कि जैसे-जैसे खेती के लिए बनाया गया हमारा यह बड़ा कार्यक्रम अमल में आएगा, वैसे-वैसे हमें देश के सभी हिस्सों में अनाज की पैदावार में काफी इज़ाफा देखने को मिलेगा। खासकर उन इलाकों में जो पहली हरित क्रांति से वंचित रह गए थे। किसान हमारे देश की रीढ़ है। उनकी तरक्की और खुशहाली के बगैर राष्ट्र की तरक्की और खुशहाली नामुमकिन है। मैं आज अपने किसानों को फिर से भरोसा दिलाता हूं कि उनका कल्याण हमारे लिए खास अहमियत रखता है और इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

हम गांवों की जो तस्वीर बदलना चाहते हैं और वहां जो तरक्की लाना चाहते हैं, वह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक खेतों की पैदावार नहीं बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में इज़ाफा नहीं होगा। लेकिन खेती पर निर्भर इतनी बड़ी आबादी और छोटे खेतों की ज्यादा संख्या के कारण आमदनी में बढ़ोत्तरी की भी अपनी सीमाएं हैं। भारत एक ऐसा देश नहीं बन सकता जहां कुछ इलाके संपन्न हों परंतु उनके चारों ओर गरीबी और पिछड़ापन हो। जहां विकास का फायदा ऊपरी श्रेणी के लोगों को ही मिले। यह हमारी सियासत और हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है।

इसलिए, यह जरूरी है कि हम देश में खेती के बाहर रोजगार के नए मौके पैदा करें। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज दुनिया में कोई ऐसा विकसित देश नहीं है जो औद्योगिक रूप से विकसित न हो। औद्योगिक विकास तरक्की के लिए बहुत अहम है। गरीबी को मिटाने में रोजगार सबसे कारगर हथियार है। औद्योगिक विकास से ही काम के नए मौके पैदा होते हैं। पिछले साठ सालों में हमारे देश के कई हिस्सों को औद्योगिक विकास का लाभ मिला है। मैं चाहता हूं कि अगले दशक में हमारे देश के हरेक हिस्से में आधुनिक उद्योग लगें। इसलिए, हम ऐसी नीतियों पर चलेंगे जो हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए मददगार साबित हों।

यह सच है कि किसी भी कृषि आधारित देश को एक औद्योगिक देश में बदलना हमेशा ही एक कठिन काम होता है। लेकिन औद्योगिक विकास से नए मौके पैदा होते हैं और उम्मीदें जागती हैं। खासकर उन ग्रामीण लोगों के लिए जो खेती में बदलाव की वजह से विस्थापित होते हैं। मैं मानता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि विस्थापन से गरीबी न बढ़े, जमीन खोने वालों की रोजी-रोटी न छिने और रोजगार खोने वालों को बेहतर रोजगार मिले। हम उन सभी विस्थापित लोगों के लिए एक नई पुनर्वास नीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि औद्योगिक विकास से हरेक की जिंदगी में खुशहाली आए और कोई भी बदहाल न रहे।

औद्योगिक विकास से शहरीकरण भी होगा। चूंकि ज्यादा लोग शहरों में रहने लगेंगे, इसलिए हमें शहरीकरण की एक रचनात्मक प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए दूरंदेशी, बेहतर प्लानिंग और शहरी जमीन के किफायती इस्तेमाल की जरूरत होगी। शहरों में अच्छी जल निकासी की जरूरत है ताकि बारिश में शहरी जीवन ठप न हो जाए। वह दिन दूर नहीं जब पचास करोड़ भारतवासी शहरों में रहने लगेंगे और हमें उस दिन के लिए तैयारी करनी होगी।

औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ेगी। सड़कों, रेलों और हवाई अड्डों का हो रहा भारी विस्तार अब तक की हमारी कोशिशों का

सबूत है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और हम ऐसा करेंगे। हमें बिजली क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि सभी को बगैर रुकावट के बिजली सही कीमत पर मिल सके। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि बिजली की खस्ता हालत औद्योगिक विकास और रोजगार पैदा करने में बाधक बन सकती है।

यदि हम चाहते हैं कि आर्थिक विकास से पैदा हो रहे रोजगार के मौकों से हरेक नागरिक को फायदा हो, तो हमें हर एक नागरिक को शिक्षित और हुनरमंद बनाना होगा। पढ़ी-लिखी जनता के बगैर तरक्की नामुमकिन है। हमने पिछले तीन सालों में शिक्षा पर होने वाले खर्च को तीन गुना करके केंद्र की प्रतिबद्धता दिखा दी है। मैं राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वे भी शिक्षा को अहमियत दें, क्योंकि शिक्षा की बुनियाद पर ही हम एक प्रगतिशील, खुशहाल समाज खड़ा कर पाएंगे। आज बढ़ते राजस्व के कारण राज्यों के पास धन की कमी नहीं है। अपने लोगों के फायदे के लिए उन्हें इस अहम क्षेत्र को तरजीह देनी होगी।

हमारी सरकार देश में हर विकास खंड में एक बेहतरीन स्कूल खोलने में मदद देगी। ये छह हजार नए स्कूल इन इलाकों में दूसरे स्कूलों के लिए मिसाल बनेंगे। अब जबकि हमें प्राथमिक शिक्षा में कुछ सफलता हासिल हो रही है, हमारे माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों पर बराबर दबाव बढ़ता जा रहा है। हम माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सभी को दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

हमारी मंशा है कि देश के कोने-कोने में कॉलेज खुलें, खासकर उन जिलों में जहां इनकी कमी है। ऐसे तीन सौ सत्तर जिलों में कॉलेज खोलने के लिए हम राज्यों की मदद करेंगे। बुनियादी शिक्षा पर जोर देने के कारण उच्च शिक्षा पर ध्यान थोड़ा कम हो रहा था। लेकिन इसमें भी हम सुधार ला रहे हैं। हम तीस नए केंद्रीय विश्वविद्यालय शुरू करेंगे, खासकर उन राज्यों में जहां कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम पांच नए आईआईएसईआर, आठ नए आईआईटी, सात नए आईआईएम, बीस नए आईआईआईटी खोल रहे हैं। इससे हमारे नौजवानों को नए अवसर मिल सकेंगे। मुझे विश्वास है कि राज्यों के साथ मिलकर काम करते हुए हम कम से कम बीस प्रतिशत बच्चों को कॉलेज में दाखिल करा सकेंगे, जो आज के मुकाबले दोगुना होगा।

देश के ज्यादातर नौजवान स्कूल के बाद एक रोजगार ढूंढ़ना चाहेंगे। मैंने पिछले साल एक व्यवसायिक शिक्षा मिशन की बात कही थी। इस मिशन को लगभग अंतिम

रूप दिया जा चुका है। हम जल्दी ही व्यवासायिक शिक्षा और कुशलता विकास मिशन शुरू करने जा रहे हैं। जिसके तहत सोलह सौ नए आईटीआई और पॉलिटेक्निक, दस हजार नए व्यवसायिक स्कूल और पचास हजार नए कुशलता विकास केंद्र शुरू किए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर साल एक करोड़ छात्र इस शिक्षा में दाखिल हों जो कि मौजूदा तादाद से चार गुना अधिक होगा। इस पहल में हम निजी क्षेत्र की मदद लेंगे ताकि वे न केवल ट्रेनिंग में बल्कि रोजगार मुहैया कराने में भी अपना योगदान दें।

मैं आने वाले सालों में आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति देखना चाहूंगा। हमें केवल कामचलाऊ साक्षरता के लिए कोशिश नहीं करनी है। हमें बेहतर शिक्षा की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा जो सस्ती हो, सुलभ हो, समान हो और सबके लिए हो। जो शिक्षा चाहने वाले हर बालक और बालिका को मिले। जरूरतमंदों को वज़ीफा मिले।

मेरी दिली ख्वाहिश है कि भारत पूरी तरह एक शिक्षित, आधुनिक और प्रगतिशील देश बने। मैं चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक लाल किले से भारत के कोने-कोने में यह पैगाम पहुंचे कि हम भारत को शिक्षित लोगों का, हुनरमंद लोगों का और रचनाशील लोगों का देश बनाएंगे।

जिन लोगों को तरक्की का लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए लोकतंत्र और विकास के कोई मायने नहीं हैं। इसलिए, हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के सभी अन्य पिछड़े तबकों को सशक्त बनाने पर खास जोर दिया था। साठ सालों में हमने कई लोगों को तरक्की और सामाजिक बदलाव की सीढ़ी पर चढ़ते देखा है। फिर भी लाखों ऐसे लोग अब भी हैं जिन्हें हमारे सहयोग और मदद की जरूरत है। हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े तबकों और अल्पसंख्यकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए वचनबद्ध हैं।

इन सभी वर्गों के लिए हमने मौजूदा आरक्षण का असरदार अमल करवाया है। हमने इनके लिए वज़ीफा और तरक्की के कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसके अलावा, मुझे खुशी है कि इन वर्गों को उद्योग और व्यापार में रोजगार दिलाने के लिए निजी क्षेत्र को भी राजी करने में हम कुछ हद तक सफल रहे हैं। हमने, अपने जनजातीय भाइयों और बहनों को जंगलों में जमीनी हक दिलाया है। इससे उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का मकसद है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विकास के कार्यक्रमों के दायरे से बाहर न रह जाएं और उनके पास अपने जीवन में सुधार लाने के लिए सभी जरूरी संसाधन मौजूद हों।

विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम सभी के दिलों में खास जगह है। मैं उनके कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं। हमने अपने बच्चों की हिफ़ाजत और उनकी सही देखभाल के लिए *राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग* का गठन किया है। कुपोषण की समस्या देश के लिए शर्म का विषय है। हमने दोपहर के भोजन की व्यवस्था को सभी स्कूलों में लागू करके, आंगनबाड़ी व्यवस्था को व्यापक रूप से चलाकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन यदि हमें इसमें सफल होना है तो इसके खिलाफ हमें जमीनी स्तर से लगातार लड़ना होगा। छोटे बच्चों को मां का दूध पिलाना होगा, अच्छा पानी और सही दवाइयां देनी होंगी। हमें समुदाय और पंचायतों के सक्रिय योगदान की जरूरत है, ताकि जो हम बच्चों पर खर्च करते हैं वह उन तक पहुंच सके। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि कुपोषण की समस्या को पांच साल के अंदर खत्म करने के लिए अपनी कमर कसकर जुट जाएं।

हालांकि, हमने पिछले तीन सालों में कई मोर्चों पर बहुत काम किया है। फिर भी एक क्षेत्र है जहां अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। देश के ज्यादातर लोग संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। वे छोटे-छोटे काम-धंधों में लगे हैं, अपनी छोटी-मोटी दुकानें चलाते हैं या दिहाड़ी पर काम करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है और उनमें सुरक्षा की भावना नहीं है। ऐसे लोग बीमार पड़ने पर या किसी हादसे का शिकार होने पर बेसहारा हो जाते हैं या कर्ज में डूब जाते हैं। हम उनके कल्याण के लिए वचनबद्ध हैं। उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम उन सभी नागरिकों को बुढ़ापे में पेंशन देंगे, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है और जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे है। हम सभी नागरिकों को जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा से सुरक्षा देंगे, ताकि उनको और उनके परिवार को किसी हादसे की सूरत में कुछ सहारा मिल सके। हम स्वास्थ्य बीमा पर भी काम कर रहे हैं ताकि गरीब तबके के लोगों को इलाज पर बहुत ज्यादा रकम खर्च न करनी पड़े। इन योजनाओं को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

देश में कई पिछड़े इलाके भी हैं। इन इलाकों को भी तरक्की का लाभ मिलना चाहिए। हर राज्य को, हर जिले को, हर गांव को, हर व्यक्ति को विकास का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम पिछड़े इलाकों में निवेश बढ़ाएं ताकि हमारा विकास संतुलित रहे। इस मकसद से हमने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष शुरू किया है जिसमें 250 जिले शामिल हैं। समय के साथ, ये इलाके भी तरक्की में देश के अन्य हिस्सों के बराबर आ जाएंगे।

हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जल्दी तो है ही। लेकिन हमें अपने संसाधनों की हिफ़ाज़त की अहमियत को भी नहीं भूलना चाहिए। पानी ऐसा ही एक संसाधन है जिसकी बड़ी कमी है। मैं चाहता हूं कि हर नागरिक पानी के संरक्षण पर

खास तवज्जो दे और इसके इस्तेमाल तथा बचत के बारे में सोचे। मैं राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वे पानी को देश की जायदाद समझें और पानी के बंटवारे को लेकर अपने आपसी विवादों को लेन-देन की भावना के साथ सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा करने से ही हम बाढ़ और सूखे से निपट पाएंगे। हाल में बाढ़ से हुई तबाही को भविष्य में रोक सकेंगे।

गांधी जी ने कहा था कि कुदरत ने हमें हर इंसान की जरूरतें पूरी करने के लिए तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके लोभ को पूरा करने के लिए कम दिया है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। हिमालय हमारी धरोहर का एक हिस्सा है। हमारी बहुत-सी नदियां इसमें से निकलती हैं। हमें अपने ग्लेशियर्स को बचाना होगा। अपनी नदियों को साफ रखना होगा और जंगलात के इलाकों को बढ़ाना होगा। हर नागरिक को अपनी भावी पीढ़ियों के हित में बाघों, शेरों और हाथियों जैसे वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। भारत को हरा-भरा और साफ-सुथरा रखना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए।

हमारे कामों से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में भी हमें जागरूक होना होगा। दुनियाभर में यह चिंता का मसला है कि जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं और जो ईंधन हम जलाते हैं, उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसका असर कई इलाकों के लिए जोखिम भरा साबित होने वाला है। इसलिए हमें ईंधन और ऊर्जा की खपत कम से कम करने की जरूरत है। यह इंसानियत के प्रति हमारा जरूरी फर्ज़ है। जिस देश ने यह सिखाया है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, उसे सारी दुनिया के सामने इसका नमूना भी पेश करना होगा।

मैं अपने नौजवानों से यह चाहता हूं कि वे अपने पास-पड़ोस में, बाजारों में, गांवों और झोपड़पट्टियों में एक 'राष्ट्रीय साफ-सफाई अभियान' में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। आइए, हम सब मिलकर थोड़ी और कोशिश करें ताकि हमारे चारों ओर साफ-सुथरा वातावरण बने। अगर हममें से हर एक व्यक्ति अपनी कथनी को करनी में बदल सके तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि गांधी जी कहा करते थे ''जैसा बदलाव हम लाना चाहते हैं वैसा हमें खुद भी बनना होगा।''

सबके हित के विकास की हमारी रणनीति के अमल में राज्य सरकारों, पंचायतों और शहरी निकायों को अहम भूमिका अदा करनी है। विकास के लिए संसाधनों और लोगों को जुटाने के लिए उन्हें आगे आना होगा। जैसा श्री राजीव गांधी कहा करते थे, हमें पंचायतों को सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जोड़ना होगा। उन्हें विकास कार्यक्रमों और खासकर स्कूलों और अस्पतालों के सही संचालन में जन भागीदारी हासिल करनी होगी। सरकार को हमें ज्यादा जवाबदेह बनाना होगा और भ्रष्टाचार को

जड़ से मिटाना होगा। सूचना का अधिकार कानून इसकी ओर एक बड़ा कदम है। मैं चाहता हूं कि इसका पूरा लाभ सभी नागरिक उठाएं ताकि सरकारी कामकाज बेहतर ढंग से चले।

आज, जब हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सभी जातियों, धर्मों, भाषाओं को बोलने वाले लागों के साथ मिल-जुलकर जीना सीखना होगा। विविधता में एकता ही हमारी ताकत है। जो लोग नफरत और उग्रवाद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता का जहर उगलते हैं और जो हिंसा और आतंकवाद में यकीन करते हैं, उनके लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। हमें इन सभी लोकतंत्र विरोधी, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से अपने-अपने तरीके से मुकाबला करना होगा। इस बात को लेकर किसी के मन में भी यह शक नहीं रहना चाहिए कि सरकार हर तरह के आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला पूरी ताकत से करेगी।

हम अपने देश के कम विकसित इलाकों, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में ज्यादा-से-ज्यादा खुशहाली लाना चाहते हैं। यह हमारा पक्का इरादा है। वहां की राज्य सरकारों को विकास का माफिक वातावरण बनाने के लिए ज्यादा सक्रिय ढंग से काम करना होगा। हम पूर्वोत्तर के राज्यों में बेहतर बुनियादी ढांचे और आसान यातायात के लिए अधिक-से-अधिक निवेश कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में हमारी कोशिश से राज्य के तीनों क्षेत्रों में नए निवेश आ रहे हैं। राज्य में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। गोलमेज बातचीत से मेल-मिलाप और तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं।

पिछले साठ सालों के दौरान हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमने एक खुले समाज और खुली अर्थव्यवस्था की पक्की बुनियाद रखी है। भारत में कई संस्कृतियां हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। दुनिया के सभी धर्म यहां मौजूद हैं। इसीलिए, हमें भारतीय होने पर गर्व है। इसीलिए दुनिया में हमारी इज्जत है।

हमारी आजादी के साठ साल बाद, दुनिया हमें अलग ही नजरिए से देखने लगी है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इतनी विविधताओं के होते हुए भी लोकतंत्र की सफलता को बड़े आदर की निगाह से देखा जाता है। हमारी सहनशीलता की कद्र की जाती है। दुनिया चाहती है कि हम तरक्की करें। हमारी चुनौतियां देश के अंदर हैं, बाहर नहीं।

भारत दुनिया के छोटे-बड़े सभी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सभी देशों के साथ। दुनिया के कई अलग विचारों के बीच हमने पुल का काम किया है। हमारी मिली-जुली तहजीब इस बात का जीता-जागता सबूत है कि अलग-अलग सभ्यताएं एक साथ रह सकती हैं।

भारत हमेशा ही दुनिया में मौजूद मतभेदों को दूर करने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। आज सभी बड़ी ताकतों और सभी विकासशील देशों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं।

भारत अपने पास-पड़ोस में अमन और खुशहाली चाहता है। मैं अपने सभी पड़ोसी मुल्कों को यकीन दिलाता हूं कि भारत के लोग अमन-चैन चाहते हैं और उन सभी के साथ बेहतर रिश्ते कायम करना चाहते हैं। हम उनकी तरक्की और भलाई के ख़्वाहिशमंद हैं। इसी में ही हमारी अपनी सुरक्षा और तरक्की है।

हमारा मुल्क एक जवान मुल्क है। इससे भी अहम बात यह है कि हमारा मुल्क नौजवानों का मुल्क है। यदि इन नौजवानों की ताकत को इस्तेमाल में लाया जाए तो वे भारत को तरक्की के एक नए रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि एक बेहतर भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।

लेकिन हमें संभलकर चलना है। हमें अभी एक लंबा फासला तय करना बाकी है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए कम-से-कम एक दशक तक कड़ी मेहनत करनी होगी। विकास की रफ्तार को बनाए रखना होगा। हमें अलगाव पैदा करने वाले विचारों तथा मसलों पर काबू रखना होगा और मिलकर काम करना होगा। अपने मकसद की तरफ तेजी से आगे बढ़ना होगा। हमें अपने लोगों, अपने नौजवानों, किसानों और अपने कारोबारियों की ताकत को इस्तेमाल में लाना होगा।

हमें अपनी ताकत और क्षमताओं पर यकीन रखना होगा। हमारी अपनी-अपनी अलग-अलग पहचान है। लेकिन हरेक नागरिक को यह समझना होगा कि वह सबसे पहले भारतीय है। हम अपना बहुत वक्त छोटी-छोटी बातों में गैर-जरूरी व्यक्तिगत मतभेदों में बिता देते हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों, सभी राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे लोगों में अलगाव पैदा करने की कोशिश से बचें। हमारी विविधता के बावजूद हमारी ताकत हमारी एकता में ही है। इस एकता के बल पर ही हमें आजादी मिली। यही एकता हमें एक राष्ट्र के रूप में ताकत देती है।

यही हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना था। यही हमारे संविधान का सपना था। अपने सपनों के भारत से हमें हटना नहीं है। मुश्किलों का हिम्मत से सामना करना है। लगभग साठ साल पहले, इसी जगह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "देश कायदे और कानूनों से और जो कागज पर लिखा जाए उससे नहीं बनता। देश बनता है देश की जनता की दिलेरी और हिम्मत से और काम करने की शक्ति से।" आइये, हम देशवासियों की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करें।